

क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ERCC-04)/2025/ई-10269

Corrigendum-1

निदेशालय की नीलामी विज्ञप्ति क्र. सं. निदे/ अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ERCC-04)/2025/ई-10269 दिनांक: 18-02-2025 में क्रम संख्या 16, 17, 18 एवं 19 पर अंकित ठेका कोड क्रमांक 80, 206, 233A, 233B में कॉलम संख्या 3, 4, 5, 6 व 7 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्र. सं.	ठेका क्षेत्र का कोड क्रमांक	कार्यालय का नाम जिस क्षेत्र का ठेका दिया जाना है	ठेका क्षेत्र का विवरण	ठेके का प्रकार	खनिज का नाम	ठेके के तहत वसूल की जाने वाली राशि का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
16	80	खनि अभियन्ता, जोधपुर	जिला जोधपुर की तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में खनिज सैण्डस्टोन व मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सैण्ड स्टोन व मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	सैण्ड स्टोन व मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी
17	206	सहायक खनि अभियन्ता, बालेसर	जिला जोधपुर की तहसील बालेसर व शेरगढ के ग्राम बालेसर सत्ता, कुई, जोधा, खिरजा भोजा सिहांदा एवं खिरजा फतेहसिंह की राजस्व सीमा में स्वीकृत खनिज मैसेनरी स्टोन व सैण्ड स्टोन के प्रभावशील क्वारी लाईसेंसों से निर्गमित खनिज सैण्ड स्टोन व उसके साथ निकलने वाला खंडा (मैसेनरी स्टोन)	आर.सी.सी.	सैण्ड स्टोन व उसके साथ निकलने वाला खंडा (मैसेनरी स्टोन)	अधिशुल्क, तुलाई शुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी
18	233 A	खनि अभियन्ता, जालौर	जिला जालौर की तहसील आहोर एवं भाद्राजून की राजस्व सीमा में खनिज ग्रेनाईट, रॉयोलॉइट तथा मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित खनिज ग्रेनाईट, रॉयोलॉइट तथा मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	ग्रेनाईट, रॉयोलॉइट व मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी
19	233 B	खनि अभियन्ता, जालौर	जिला बालोतरा की तहसील सिवाणा व समदडी की राजस्व सीमा में खनिज ग्रेनाईट, रॉयोलॉइट तथा मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज ग्रेनाईट, रॉयोलॉइट व मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	ग्रेनाईट, रॉयोलॉइट व मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी

(कमलेश्वर बारेगामा)
अधीक्षण खनि अभियंता (निलामी प्रकोष्ठ)



क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ERCC-04)/2025/ई-10269

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. शाखा प्रबंधक, एमएसटीसी लि0, जयपुर को भेजकर लेख है कि तत्काल वेबसाइट पर प्रकाशन करा सभी भाग लेने वाले बोलीदाताओं को अपने स्तर से तत्काल सूचित करावें।
2. नोडल अधिकारी, डी.एम.जी.ओ.एम.एस., के.का., उदयपुर को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
3. समस्त अतिरिक्त निदेशक (खान) जोन।
4. समस्त अधीक्षण खनि अभियंता —वृत्त।
5. समस्त खनि अभियंता /समस्त सहायक खनि अभियंता।

अधीक्षण खनि अभियंता (निलामी प्रकोष्ठ)